राम लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

1 नवम्बर, 2000

[न्यायमूर्तिगण के.टी.टॉमस और आर.पी.सेठी]

आपराधिक कानूनः

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

धारा 2(पाँच)खाद्य ऊँट का दूध मानव उपभोग स्थास्थ्य हेतु अभिनिर्धारित किया गया– ऊँट का दूध समृद्ध और पौष्टिक होता है– इसमें फैटी रासिड होता है और इसमें गाय के दुध के बराबर प्रोटीन की मात्रा होती है–इसलिए ऊँट का दूध मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।

धारा 10–खाद्य पदार्थ नमूना लेना खाद्य निरीक्षक की शक्ति– अभिनिर्धारित किया गयाः यदि वस्तु खाद्य पदार्थ नहीं है तो खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने की कोई शक्ति नहीं है।

धारा16(1)(ए)(आई) ऊँट का दूध पानी मिलाना–अभिनिर्धारित किया गयाः आर–44 के तहत निषिद्ध– इसलिए एक अपराध है खाद्य अपमिश्रण नियमों की रोकथाम, आर 44

धारा16(1) पहला प्रावधान–सजा–न्यूनतम सजा उपयुक्त और विशेष कारण का अस्तित्व अभिनिर्धारितः यदि पर्याप्त और विशेष कारण हों तो न्यूनतम सजा दी जा सकती है– आरोपी की कम उम्र को एक खास वजह माना जा सकता है– आरोपी की कम उम्र को एक खास वजह माना जा सकता है– तथ्यों के आधार पर , उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 6 महीने के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने के मुकाबले कम से कम 3 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथामः

नियम 5 भाग 11– खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की परिभाषा और मानक–ऊँट का दूध–अभिनिर्धारितः यह परिभाषा विभिन्न जानवरों के दूध के बीच अंतर नहीं करती है– इसलिए, ऊँट का दूध भी इस परिभाषा के तहत आता है।

वस्तु ए.11.01.01 परिशिष्ट बी–ऊँच का दूध–का मानक–अभिनिर्धारित ऊँट के दूध के लिए कोई विशेष मानक तय नहीं किया गया है– इसलिए भैंस के दूध का मानक ऊँट के दूध के लिए वैज्ञानिक रुप से प्रासंगिक नहीं है–इसलिए, केंद्रीय सरकार ऊँट के दूध के लिए मानक निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

शब्द और वाक्यांशः

खाद्य–का अर्थ–खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा एस.2(पाँच) के संदर्भ में

अपीलार्थी अभियुक्त पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम,1954 के तहत उप–मानक ऊँट का दूध बेचने और उसमें पानी मिलाने के कारण मुकदमा चलाया गया। निचजी अदालत ने अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि इस तरह के दूध के लिए अधिनियम के तहत कोई मानक तय नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि ऊँट का दूध मानव उपभोग के लिए नहीं बेचा जा सकता है, अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 16(1) के तहत दोषी ठहराया गया और अपीलकर्ता को 6 महीने के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसलिए यह अपील,

अपील का निस्तारण, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया गयाः 1.1 दूध को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के भाग 3 के नियम 5 के परिशिष्ट बी के आइटम रा.11.01.01 में परिभाषित किया गया है। लेकिन परिभाषा विभिन्न जानवरों के दूध के बीच अंतर नहीं करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऊँट को दूध भी उक्त परिभाषा के आयाम के भीतर आएगा।

[325–सी]

1.2 ऊँट के दूध का सेवन मनुष्य खाद्य पदार्थ के रुप में कर सकते क्योंकि, यदि ऐसा नहीं था, तो खाद्य निरीक्षक के पास वहां से नमूना लेने का कोई अधिकार नहीं था। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 10 खाद्य निरीक्षक को "खाद्य के कोई भी" का नमूना लेने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम का धारा2(पाँच) में खाद्य को परिभाषित किया गया है और एक वस्तु, जो खाद्य पदार्थ है, इस तथ्य से खाद्य पदार्थ के रुप में अपना चरित्र नहीं खोती है कि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। [325–डी–ई]

इनसाइक्लोपीकिया अमेरिकाना **वॉल्यूम 5 पी.163,** *जी. रास. राठौरः "कैमेल्स रोक देयर मैनेजमेंट"* **च. 17 खंड** *"पेपर ऑन राग्रीकल्परल रीसर्च बाई 'सी.आई.आर.रा.डी.' ए फ्रेंच साइटिंफीक ऑर्गनाइजेशन"'* संदर्भित

2.1 ऊँट का दूध पौष्टिक और भरपूर होता है। रेगिस्तान में गहरे स्थानों पर रहने वालों लोगों के लिए ऊँट परिवहन, भोजन, कपड़े और आश्रय का लगभग एकमात्र स्त्रोत है। वे ऊँट का दूध पीते हैं और उससे पनीर भी बनाते हैं। ऊँट के दूध में फँटी एसिड होता है और कुल प्रोटीन गाय के दूध के समान होता है। [325–जी,326–ए,जी]

2.2 भले ही ऊँट पालन क्षेत्रों के बाहर के लोगों ने मानव उपभोग के लिए उस स्तनपायी के दूध का उपयोग करने का सेचा न हो, यह उन क्षेत्रों में लोगों द्वारा ऊँट के दूध का उपभोग करने की प्रथा को उसी तरह से अत्यवस्थित करने को कोई कारण नहीं है, जिस तरह से अन्य स्थानों के लोगों द्वारा अन्य प्रकार के खाने योग्य दूध का उपभोग किया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में, विशेष रुप से राजस्थान में, ऊँट के दूध का व्यापक रुप से खाद्य पदार्थ के रुप में उपयोग किया जाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत होना संभव नहीं है कि ऊँट का दूध मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। [325–एफ–जी]

3.1 अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध केवल यह नहीं है कि उसने ऊँट का उप–मानक दूध बेचा लेकिन उसने उसमें पानी मिलाकर दूध बेचा। नियमों का निमय 44 दूध जिसमें थोड़ा भी अतिरिक्त पानी हो की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ पाया जाने वाला अपराध अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(आई) के तहत है। [328–एफ]

3.2 यदि पर्यापत और विशेष कारण हों तो सजा को घटाकर 3 महीने की कैद और 500 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मामला धारा16(1) के परंतुक के खंड(i) के दायरे में आता है। अपीलार्थी केवल 19 वर्ष का था जब उसने ऊँट का दूध खाद्य निरीक्षक को बेचा था। इसमें कोई संदेह नहीं है इसे एक विशेष कारण माना जा सकता है। फिर भी, दूसरा कारण यह है कि उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता को यह बताया गया कि अपराध यह था कि उसने एक ऐसी वस्तु बेची, जो खाने योग्य नहीं थी। अपीलार्थी को सजा के संदर्भ में कुछ भी कहने को कोई अवसर नहीं दिया गया था। बेशक, निचजी अदालत को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस अदालत ने अपीलार्थी को बरी कर दिया था। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटने का फैसला किया था और उसे दोषी ठहराया था तो उसमें सजा पर सुना जाना चाहिए था। इसलिए सजा को घटाकर 3 महीने की कैद और

500 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है, जिसका भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को 15 दिनों की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। [328–एच,329–ए–डी]

4. नियमों में ऊँट के दूध के लिए कोई मानक विशेष रुप से तय नहीं किया गया है। हालांकि, दूध के विभिन्न वर्गों और पदनामों के लिए अलग–अलग मानक तय किए गए है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष को दिखाना है कि भैंस ऊँट के दूध के लिए वैज्ञानिक रुप से कैसे प्रासंगिक होंगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केंद्र सरकार का ध्यान इस बात पर विचार करने पर केंद्रित होना चाहिए कि ऊँट के दूध के संबंध में मानकों के लिए घटकों का पुननिर्धारण किया जाना चाहिए या नहीं। [327–एच,328–ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार– 1999 की आपराधिक अपील सं.1271

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.5.99 से एस.बी.सी.आर.एल. 1982 का रा.नं 248

अपीलार्थी के लिए डूंगर सिंह और वी.जे. क्रांसिस

प्रविादी की ओर से सुशील कुमार जैन और ए.पी. धामिजा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति **थॉमस** द्वारा दिया गया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि चूंकि उसने ऊँटनी का दूध बेचा था, इसलिए उस पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954(संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निचजी अदालत ने उसके दावे को स्वीकार कर लिया और उसे इस आधार पर बरी कर दिया कि ऐसे दूध के लिए अधिनियम के तहत कोई मानक तय नहीं किया गया है। लेकिन उच्च न्यायालय, अभिनिर्धारित करने के बाद कि ऊँट का दूध मानव उपभोग के लिए नहीं बेचा जा सकता था, आगे कहा कि बेचा गया दूध ऊँट का दूध बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। विद्वान वकील ने आशंका व्यक्त की कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे क्योंकि उनमें से कई लोग आदतन ऊँटनी के दूध का सेवन करते हैं। बहरहाल, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधिश ने राज्य के तहत दोषी ठहराया और उसे 6 महीने के कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कूंगर सिंह फैसले के उस हिस्से से अधिक चिंतित दिखे जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि ऊँटनी का दूध मानव उपभोग के लिए नहीं बेचा जा सकता है। विद्वान वकील ने आशंका व्यक्त की कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के लोगों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनमें से कई लोग आदतन ऊँटनी के दूध का सेवन करते हैं।

अब यह 22 साल पुरानी कहानी है क्योंकि खाद्य निरीक्षक ने 9.10.1978 को अपीलार्थी से दूध खरीदा था। उन्होंने मौके पर ही नमूना लिया। नमूने का एक हिस्सा जांच के लिए सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेजा गया था। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चला की नमूने की जांच की गई और पाया गया कि इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त पानी था और दूध में वसा 4.1 प्रतिशत था और दूध में ठोस गैर–वसा 6.74 प्रतिशत थी। निचली अदालत में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद अपीलार्थी ने गवाह के रुप में खुद से पूछताछ करने की पेशकश की। अपने साक्ष्य में उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि खाद्य निरीक्षक ने उनसे दूध खरीदा था और न ही खाद्य निरीक्षक ने इस रुख पर की नमूना उनकी उपस्थिति में किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया कि यह ऊँट का दूध था जो खाने योग्य था और उसने इसमें पानी नहीं मिलाया था। उनका बचाव यह था कि ऊँट के दूध के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया था और इसलिए वह सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

यह चर्चा करना एक अनावश्यक अभ्यास है की अपीलकर्ता द्वारा बेचा गया दूध ऊँटनी का दूध था या किसी अन्य प्रकार का। अपीलकर्ता ने इस धारणा पर बचाव साक्ष्य देने का विकल्प चुना कि जिस आरोप का सामना करने के लिए उसे बुलाया गया था वह यह था कि उसने दूध बेचा जो मानव उपभोग के योग्य नहीं था।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के भाग–111 (संक्षेप में नियम) में खाद्य पदार्थों की विभिन्न वस्तओं की परिभाषाएँ और गुणवत्ता के मानक शामिल हैं। नियम 5 जो उक्त भाग के अंतर्गत आता है, कहता है कि इन नियमों के परिशिष्ट में परिभाषित किए गए हैं। दुध को परिशिष्ट बी के आइटम ए 11.01.01 में परिभाषित किया गया है। स्वस्थ दुधारु पशु के पूर्ण दूध देने से प्राप्त सामान्य सतन स्त्राव, बिना किसी अतिरिक्त निष्कर्षण के। लेकिन यह कोलोस्ट्रम से मुक्त होगा। उपरोक्त परिभाषा विभिन्न जानवरों के दूध के बीच अंतर नहीं करता। इसलिए यह स्पष्ट है कि ऊँट का दूध भी उक्त परिभाषा के आयाम के भीतर आएगा। यह सवाल कि क्या ऊँट का दूध मानव द्वारा एक खाद्य–पदार्थ के रुप में खाया जा सकता है, बहुत परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इस मामले में खाद्य निरीक्षक ने इस आधार पर नमूना लिया कि यह एक खाद्य पदार्थ था। यदि यह एक खाद्य पदार्थ नहीं होता, तो खाद्य निरीक्षक के पास उससे नमूना लेने का कोई अधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 10 खाद्य निरीक्षक को किसी भी खाद्य पदार्थ का नमुना लेने की शक्ति प्रदान करती है। खाद्य पदार्थ को धारा 2(पाँच) में दवओं और पानी के अलावा मानव उपभोग के लिए भोजन या पेय के रुप में उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु के रुप में परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल हैं। (चूंकि इसमें शामिल वस्तुएँ इस मामले के प्रयोजन के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है, इसलिए परिभाषा का शेष

भाग छोड़ दिया गया है।) हम देख सकते हैं कि एक वस्तु जो खाद्य–पदार्थ है, इस तथ्य से खाद्य पदार्थ के रुप में अपनी प्रकृति नहीं खोती है कि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था या बेचा गया था।

यह देखने के बाद कि ऊँट का दूध मानव उपभोग के लिए नहीं बेचा जा सकता है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह सुनिश्चित करने के लिए मामले में सबूतों पर विचार किया कि क्या नमूना वास्तव में ऊँट के दूध का था। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत इस आश्य के साक्ष्य कि उसके द्वारा बेचा गया दूध ऊँटनी का दूध था, को एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा आसानी से दरकिनार कर दिया गया, लेकिन वह किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा पाया कि खाद्य निरीक्षक को किस श्रेणी का दूध बेचा गया था। हमारे विचार में, बचाव पक्ष के इस कथन से असहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि यह ऊँटनी का दूध था जो खाद्य निरीक्षक को बेचा गया था। इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे।

इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना (खंड 5 पृष्ठ 263) में यह उल्लेख किया गया है कि ऊँट का दूध पौष्टिक होता है। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया है कि अफ्रीका और एशिया में रहने वाले लाखों लोग अपनी अधिकांश जरुरतों को पूरा करने के लिए ऊँटों पर निर्भर है। रेगिस्तान में गहरे रहने वाले लोगों के लिए ऊँट लगभग परिवहन, भोजन, कपड़े और आश्रय का एकमात्र स्त्रोत है। वे ऊँटनी का दूध पीते हैं और उससे पनीर भी बनाते हैं। दूध इतना गाढ़ा और समृद्ध होता है कि यह चाय और कॉफी में सख्त गांठे बना देता है।

राजसथान सरकार के पशुपालन विभाग के पूर्व निदेशक श्री जी.एस. राठौड़ द्वारा लिखित पुस्तक में, जिसे कैमेल रोक देयर मैनेजमेंट शीर्षक के तहत भारक कृषि अनुसंधान परिषद(आई.सी.ए.आर. इसका संक्षिप्त नाम है) द्वारा प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित अंश अध्याय 17 में मिलता हैः

"दूध की संरचना

मुख्यतः इसकी सीमित उपलब्धता के कारण दूध का व्यापार में गाय और भैंस के समान स्थान नहीं है। इसके अलावा ऊँटों का पालन–पोषण दुधारु पशओं के रुप में नहीं किया जाता है। हालाँकि, ऊँट का दूध दुनिया के कुछ हिस्सों में बेचा जाता है और ऊँट पालकों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऊँटनी आमतौर पर दिन में दो बार दूध देती है। वे प्रति दिन 2.5 से 5 किलोग्राम और कुछ 15 किलोग्राम प्रति दिन देते हैं। बताया गया है कि आहार और देखीाल की सीमा के आधार पर स्थान की उपज 1300 से 3600 किलोग्राम तक भिन्न होती है। लेकिन कम पैदावार एक नियम है।

अन्य दुधारु पशओं के दूध की तरह, ऊँटनी के दूध की सकल संरचना में नस्ल, व्यक्तिगत पशओं, पोषण की योजना, मौसम और वातावरण का तापमान, उम्र, स्तनपान की अवस्था और उपयोग की जानेवाली विश्लेषणात्मक तकनीकों के साथ भिन्न होने की संभावना है। अधिकांश ऊँट पालकों को ऊँटनी का दूध तीखा और स्वाद में खारा लगता है और इसे जमाना या सामान्य तरीके से भी तैयार करना कठिन होता है। ऊँटनी के अधिकांश दूध का उपयोग तरल दूध के रुप में किया जाता है, हालांकि इसका कुछ हिस्सा व्यंजन तैयार करने में उपयोग किया जाता है।

विभिन्न देशों द्वारा ऊँट के दूध के साथ किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इसमें फैटी एसिड होता है और कुल प्रोटीन गाय के दूध के समान होता है। उसी प्रकाशन में यह उल्लेख किया गया है कि रुसी श्रमिकें ने ऊँट के दूध की विटामिन सामग्री पर गहन अध्ययन किया है।

एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक संगठन सी.आई.आर.ए.की दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए कषि अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। हाल ही में उक्त संगठन ने एक पेपर जारी किया है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। *(वेबसाइटः http://www.cirad.fr/publications/ouvrages/608/opening.html)* इसमें ऊँट के दूध की कमोडिटी प्रणाली, आधुनिकता और पारंपरिक तकनीकों पर दाव कैसे लगया जाय शीर्षक के तहत निम्नलिखित अंश का उपयोग लाभप्रदता के लिए हमारे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

"कुछ देशों ने पहले ही ऊँटों को पूर्ण उत्पादक पशु का दर्जा देने का चुनौती स्वीकार कर ली है, जो पशु उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। ज्यादातर मामलों में यह कदम दूरदर्शी व्यक्तियों द्वारा शुरु किया गया था जो अपने समय से आगे थे और मान्यता के पात्र थे। यहां–वहां स्थापित की गई डेयरियां एक उत्कृष्ट उदाहरण है, हालांकि अलग–थलग उदाहरण है, और लेटिरे की मॉउरिवानी इसका एक उदाहरण है। उत्पादन क्षेत्रों, शहरी उपभोग क्षेत्रों में दूध बेचने के लिए किसानों द्वारा शुरु की गई निजी पहल इन कार्यों की आर्थिक गतिशीलता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन्हें अब तक अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। यह वर्तमान में कई पशु उत्पादन क्षेत्रों में मामला है जैसे कि दक्षिणी मोरक्को, ऐतिहासिक रुप से सोमालिया में, और उत्तरी क्षेत्रों के खेतों में जहाँ ऊँटों को गोजातीय और जेबस के साथ बस कुछ उदाहरण उद्धुत करने के लिए पेश किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में, यह कदम कृषि अर्थव्यवस्था और उनके परिचालन ढांचे के प्रभारी लागों की ओर से एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मध्य एशिया का मामला था, जहां ऊँटनी के दूध के कमोडिटी चैनलों ने उन्हें सौंपी गई भूमिका को पूरी तरह से पूर किया हैः कुछ शहरों में विशिष्ट लक्षित आबादी को भोजन देना(अस्पतालों में आहार संबंधी या चिकित्सीय आहार संबंधी या

चिकित्सीय आहार के लिए), बल्कि स्वस्थ आबादी को भी खिलाना, जिनके लिए ऊँट के दूध के उत्पादों को केवल भोजन के रुप में देखे जाने के बजाय उचच प्रतीकात्मक मूल्य है। अफ्रीका, विशेष रुप से मॉरिटानिया में अभी भी यही स्थिति है, जहां अधिकारी शहरी क्षेत्रों में दूध उपलब्ध कराने में इस प्रजाति की विविध और उत्पादक भूमिका की सराहना करते हैं।

भले ही ऊँट पालन क्षेत्रों के बाहर के लोगों ने उस स्तनपायी के दूध को मानव उपभोग के लिए उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा हो, यह उन क्षेत्रों ने लोगों द्वारा ऊँटन के दूध का उपभोग करने की प्रथा को उसी तरह से रद्द करने का कोई कारण नहीं है, जैसे अन्य वर्गों के खाद्य दूध का उपभोग अन्य स्थानों में लोग करते हैं।

उपरोक्त सभी कारणों से हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि ऊँटनी का दूध मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में, विशेष रुप से राजस्थान में, ऊँट के दूध का व्यापक रुप से खाद्य पदार्थ के रुप में उपयोग किया जाता है।

यह सच है कि ऊँट के दूध के लिए विशेष रुप से नियमों में कोई मानक तय नहीं किया गया है। हालाँकि, दूध के विभिन्न वर्गों और पदनामों के लिए अलग–अलग मानक तय किए गए हैं। नियमों के नीचे दी गई तालिका में, परिशिष्ट–बी के आइटम ए.11.01.11 के तहत, दूध के केवल तीन वर्गों का उल्लेख किया गया है यानी भैंस का दूध, गाय का दूध और बकरी या भेड़ का दूध। लेकिन तालिका में जोड़ा गया नोट का खंड(i)

"जब दूध को वर्ग के किसी भेद के बिना बिक्री के लिए पेश किया जाता है, तो भैंस के दूध के लिए निर्धारित मानक लागू होगा।"

भैंस के दूध के लिए अलग–अलग राज्यों की तरह अलग–अलग मानक तय किए गए हैं। राजस्थान राज्य के लिए भैंस के दूध के लिए निर्धारित न्यूनतम दूध वसा 5 प्रतिशत औँर दूध ठोस गैर वसा 9 प्रतिशत होनी चाहिए/वर्तमान मामलें में सार्वजनिक विश्लेषक ने पाया(जैसा कि पहले बताया गया है) कि दूध के नमूने में केवल 4 प्रतिशत दूध वसा और 6.74 प्रतिशत दूध ठोस गैस वसा है। उपरोक्त मदों के तहत प्रदान की गई तालिका में जोड़े गया नोट के बावजूद हमें एक से अधिक कारणों से ऊँटनी के दूध के दो घटकों को भैंस के दूध के बराबर मानने में कठिनाई होती हैं। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना(अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) में विभिन्न स्तनधारियों के दूध की औसत संरचना के लिए एक तालिका दी गई है। भैंस को दूध के लिए वसा का औसत प्रतिशत 7.73 है, और गैर–ठोस–वसा का प्रतिशत 9.93 है, जबकि ऊँटनी के दूध के लिए वसा का औसत

प्रतिशत 4.15 है और ठोस–गैर–वसा का प्रतिशत केवल 8 है। आईसीरआर द्वारा किए गए प्रकाशन में भी ऊँटनी के दूध की संरचना में वसा 7.8 प्रतिशत और ठोस गैर वसा 9.59 प्रतिशत दर्शाया गया है।

यदि उपरोक्त आईसीआर की भी अध्ययन रिपोर्ट है, तो यह अभियोजन पक्ष को दिखाना है कि भैंस के दूध के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताएं ऊँट के दूध के लिए वैज्ञानिक रुप से प्रासंगिक कैसे हो जाएगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां केंद्र सरकार का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ऊँटनी के दूध में संबंध में मानक के रुप में घटकों का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए या नहीं।

जो भी हो, अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध केवल यह नहीं है कि उसने घटिया ऊँटनी का दूध बेचा बल्कि उसने दूध में पानी मिलाकर बेचा। नियमों का नियम 44 ऐसे दूध की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें पानी मिलाया गया हो। प्रयोगशाला में नमूने का परीक्षण करने वाले सार्वजनिक विश्लेषक ने बताया है कि इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त पानी था। अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध पाया जाने वाला अपराध अधिनियम की धारा 16(1)(a)(i)है।

इसलिए हम अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखते हैं, हालांकि अलग–अलग कारणों से जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है। अब हमें सजा का सवाल तय करना है।

अधिनियम की धारा 16(1) के पहले प्रावधान के तहत सजा को न्यूनतम तक कम करने के लिए हमारे समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि पर्यापत और विशेष कारण हो तो सजा को घटाकर 3 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि यह मामला धारा 161 के प्रावधान के खंड(i)के दायरे में आता है।

अपीलार्थी केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने खाद्य निरीक्षक को दूध बेचा था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे एक विशेष कारण माना जा सकता है। एक और कारण यह है कि उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता को यह बताया गया कि अपराध यह था कि उसने एक ऐसी वस्तु बेची जो खाने योग्य नहीं थी। हम इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हैं कि अपीलार्थी को सजा के विषय में कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। बेशक, निचली अदालत को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी को उस अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटने का फैसला किया था और उसे दोषी ठहराया गया था तो उसे सजा पर सुना जाना चाहिए था। अब केवल उस उद्देश्य के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने के लिए हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। इस मामले के निपटाने में अतिरिक्त विलंब उन्हें अपूरणीय क्षति पहुँचाएगी।

उपरोक्त सभी कारणों से हम सजा को घटाकर 3 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना करते हैं, भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को 15 दिनों की अतिरिक्त अवधिक के लिए कारावास भुगतना होगा।

अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

वी.एस.एस. अपील का निपटारा किया गया।

प्रगति कुमारी